न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 28/2021 दायर दिनाँक 05.02.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री प्रितम सिंह वकील वादी

दिनाँक 13.09.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता के नाम से खेत खसरा सं0 58 रकबा 0.060 बीघा व खेत खसरा सं0 59 रकबा 45.050 बीघा कुल खसरा 02 रकबा 45.65 बीघा वाकै सरहद ग्राम खरेश है। इन खसरानों की खातेदारी में रामू वल्द नेता वादी के पिता का नाम दर्ज है, जो कि गलत है।

यह है कि वादी के पिता का वास्तवीक नाम रामूराम पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी खरेश है यही नाम वादी के परिवारीक राशन कार्ड, मतदाता पहचाप पत्र, आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है।

यह है कि उपरोक्त वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार खसरानों की खातेदारी में वादी के पिता का नाम रामूराम पुत्र भागुराम के बजाय रामू वल्द नेता अंकित किया हुआ है।

यह है कि वामू वल्द नेता नाम खातेदारी में कतई गलत अंकित है इस नाम (रामू पुत्र नेता) का कोई व्यक्ति न तो पहले ग्राम खरेश में था और न वर्तमान में है, यह नाम वादी के दादा के नाम के बजाये कतई गलत अंकित हुआ है इससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है वादी पौत्र होने के कारण अपने स्व0 पिता रामूराम के पिता के गलत अंकित नाम का दुरूस्त करवाकर सही नाम खातेदारी में अंकित कराने का कानूनी तोर पर हकदार है। अतः वादी को यह दावा करना लजमी हुआ है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है –

कि वादी के पिता के नाम से खेत खसरा सं0 58 रकबा 0.060 बीघा व खेत खसरा सं0 59 रकबा 45.050 बीघा कुल खसरान् 02 रकबा 45.65 बीघा वाकै सरहद खरेश है। इन खसरानों की खातेदारी में वादी के पिता का नाम रामू वल्द नेता से खातेदारी में ... दर्ज है ... करवाकर इसके स्थान पर वादी के पिता का सही नाम ... में रामूराम पुत्र भागुराम अंकित करवाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 579 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 483 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 58, 59 में खातेदार का नाम रामू वल्द नेता के स्थान पर रामूराम पुत्र भागुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद खरेश में तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 58, 59 में खातेदार का नाम रामू वल्द नेता के स्थान पर रामूराम पुत्र भागुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.09.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 28/2021 दायर दिनाँक 05.02.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 13.09.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितम सिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद खरेश में तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 58, 59 में खातेदार का नाम रामू वल्द नेता के स्थान पर रामूराम पुत्र भागुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.09.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक ... यदि डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner